



## U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

9<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928

14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

९वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या - 928,

14- अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

पत्रांक : सचिव/उनिलि/लीगल एडवाइज/741

दिनांक : अगस्त 4, 2012

### कार्यालय ज्ञाप


उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की 151 वीं बैठक जो दिनांक 30.07.2012 को सम्पन्न हुयी, में लिये गये निर्णय के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ बेन्च में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पैनल पर नामित अधिवक्ताओं को अनुमन्य फीस सम्बन्धी जारी कार्यालय ज्ञाप सं० 717 वि०प०(21)/पाकालि/2012-3(3)वीपी/94 दिनांक 02.06.2012 (प्रति संलग्न) को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पैनल में नामित अधिवक्ताओं हेतु अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं० 717 वि०प०(21)/पाकालि/2011-3(3)वीपी/94 दिनांक 02.06.2012 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में दिनांक 02.06.2012 से प्रभावी माना जायेगा। यह संशोधित दरें केवल उन वादों के प्रकरणों में लागू होंगीं जिनमें वाद दिनांक 02.06.2012 के बाद निगम/परियोजना के विरुद्ध योजित किया गया हो अथवा निगम/परियोजना द्वारा वाद योजित किया गया हो।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी, तापीय परियोजना को इस आशय से प्रेषित कि वह सभी सम्बन्धित अधिकारियों जिनके द्वारा वादों की पैरवी की जाती है को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- महाप्रबन्धक (मा०सं०)/उप महाप्रबन्धक (टा०वा०से०), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- उप महाप्रबन्धक/उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी, तापीय परियोजना।
- 7- मुख्य प्रबन्धक, वित्त एवं लेखा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पैनल में नामित अधिवक्ताओं को सूचनार्थ प्रेषित।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, रिफार्म को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
( एच० के० अग्रवाल )  
कम्पनी सचिव

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या: 717-वि०प०(21)/पाकालि/2012-3(3)वीपी/94

दिनांक: जून 02, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय-ज्ञाप सं०-1125-विप(21)/पाकालि/2011-3(3)वीपी/94 दिनांक-01.06.2011 में उल्लिखित सारिणी के कम सं०-2 में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में दिये गये रिटेनरशिप फीस/अधिवक्ता शुल्क/क्लेर्कज एवं मा० न्यायालय से निर्णय/आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु फीस में तत्काल प्रभाव से निम्नवत् आंशिक संशोधन किये जाते हैं:-

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ	रिटेनरशिप फीस	अधिवक्ता शुल्क	सत्यापित प्रति
1-वाणिज्यिक वादों की रिट याचिका हेतु	रुपये 10000/प्रति माह	रुपये 6000/+ 15 प्रतिशत क्लेर्कज	सत्यापित प्रति हेतु रुपये 300/-मात्र
2-गैर-वाणिज्यिक वादों की रिट याचिका हेतु	रुपये 10000/प्रति माह	रुपये 6000/+ 15 प्रतिशत क्लेर्कज	सत्यापित प्रति हेतु रुपये 300/-मात्र


उक्त फीस का नुगतान कार्यालय ज्ञाप संख्या-716-वि०प०(21)/पाकालि/2012-3(3)वीपी/94 दिनांक जून 02, 2012 के आधार पर किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या-717(1)वि०प०(21)/पाकालि/2012 तददिनांक :/

- 1-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०) महोदय के निजी सचिव उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2-समस्त निदेशक, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3-समस्त अधिकारी, विधि संचाल, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4-प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वल/पश्चिमान्वल/मध्यान्वल/दक्षिणान्वल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि० वाराणसी/मैरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
- 5-उपविधि अधिकारी, समस्त सहायक विधि अधिकारी, पश्चिमान्वल/पूर्वान्वल/मध्यान्वल/दक्षिणान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मैरठ/वाराणसी/लखनऊ/आगरा।
- 6-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7-समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पा०का०लि०।
- 8-मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9-उप महाप्रबन्धक (लेखा)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10-अनुसचिव(स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन(मु०) लखनऊ।

आज्ञा से,



(राजेंद्र प्रसाद)  
उप विधि अधिकारी